फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री सतीश चन्द्र पालीवाल निवासी सुगर फेक्ट्री के पास, चारभुजा तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

–अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 33/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 11.08.2020

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2020/571–72 दिनांक 28.07.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 28.01.2020 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 28.01.2020 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन पत्र से चाही गई वर्णित वांछित सूचना अधीक्षण अभियंता, जन स्वा0अभि0विभाग वृत राजसमन्द की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक क्रमांकः प.1( )सू0 अ0,05/2020/111–12 दिनांक 31.01.2020 को प्रेषित किया गया। प्रार्थी अपीलांट के आवेदन पत्र को जिस दिन कार्यालय/अनुभाग को प्राप्त हुआ, आवेदन पत्र का अवलोकन करने पर चाही गई सूचना इस कार्यालय की नही होने से उसी दिन संबंधित कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) (I) (II) के तहत अन्तरण कर सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया तथा प्रार्थी अपीलार्थी को भी सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार प्रस्तुत अपील इस कार्यालय से संबंधित नही होने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। साथ ही अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी जन स्वा0अभि0विभाग के मुख्य अभियंता, जन स्वा0अभि0विभाग, उदयपुर के यहॉ प्रथम अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करें।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द